

समक्ष माननीय मोप्र० राजस्व मण्डल गवालियर कैम्प रीवा (मोप्र०)

निगरानी ७२१-III-१५



Rs. 20/-

म्र०  
१३.३.१५

साधूलाल कोल पिता रघुनाथ कोल निवासी— ग्राम रहना, वृत्त-पहाड़ी,  
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा मोप्र०

निगरानीकर्ता

### बनाम

प्रदीप कुमार पिता नन्दलाल पाण्डेय निवासी— ग्राम रहना, वृत्त-पहाड़ी,  
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा मोप्र०

उत्तरवादीगण

मी. रामकृष्ण पटेल  
द्वारा आज दिनांक १३-३-१५ के  
प्रमुख चिना गया।

सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक  
द्वारा आज  
को प्रमाप्त  
कर्त्ता कोर्ट अंक  
राजस्व मण्डल ने ग्रा. गवालियर  
मान्यवर,

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब  
तहसीलदार वृत्त पहाड़ी, तहसील-हनुमना  
जिला रीवा के रामप्र०क्र० 26 / ए-19  
(3) / 95-96 में पारित आदेश दिनांक

05/07/96।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू-राजस्व  
संहिता

निगरानी का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है :-


- 1- यह कि मौजा रहना, वृत्त-पहाड़ी, तहसील हनुमना रीवा स्थित आराजी नं०- 250/2 रकवा 11.84 ए० यानी 4.796 हेठो शासन मोप्र० की भूमि थी जो उक्त ग्राम में निवास करने वाले हरिजन आदिवासियों के लिए आवास योजना हेतु आरक्षित थी। जिसमें कई लोगों को भूमि आबंटित भी की जा चुकी है तथा हितग्राही उक्त आबंटित भूमि पर आवास बनाकर निवासरत हैं। इसी भूमि का आबंटन आवेदक अपने नाम आवास बनाने हेतु चाहता था

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 आदेश पृष्ठ  
 भाग - अ

(५०)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 721-तीन / 2015

साधू लाल कोल  विरुद्ध श्री निवास पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री रमाकांत पटेल ने उपस्थित होकर प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया। आवेदन अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>          20/6/18          (आर० के मिश्रा)          सदस्य</p> <p></p>	